


816
12/12/12

R-125-III/13

अधिवक्ता श्रीश्यामदाशसाद
मिशादारा गवत

प्राप्त निगरानी

सम्हा - मानकीय राजस्व मण्डल ग्वालियर रीवा मण्डल



C.F.Rs. 201-

लालबहारी पिता भवतराम साठ अर्जुनपुर शुक्लान तह. हनुमना जिला रीवा
म.प्र. (संस्कृत) --- आवेदक

बनाम

- 1- छीलाल तनय देवशरण कोरी साठ अर्जुनपुर शुक्लान तह. हनुमना जिला रीवा मण्डल
- 2- कृष्ण स्वल्प ब्राठ निवासी डोल तह. हनुमना जिला रीवा मण्डल
- 3- मण्डल राज्य ----- अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसील
तहसील हनुमना जिला रीवा मण्डल राजस्व प्रकरण

39 ए/ 12/ 2010-2011 परिश्वर्तित नम्बर 4
12 / 2011- 12 आदेश दिनांक 31- 7- 2011

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मण्डल भूराठ संठ

मान्यवर,

सिंहप्रतप

1-यहाँक अनावेदक क्र. 1 द्वारा छहरा क्र. 243/1 रकमा 0.227 हे.मौजा अर्जुन
शुक्लान तहसील हनुमना जिला रीवा के सीमांकन हेतु मात्र शासन को पक्षकार
बनायागयाथा सीमांकन की कार्यवाही सम्पन्न कराली सीमांकन की

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक

R-125-III/13

जिला-रीण

स्थान तथा दिनांक	कार्रवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अधिकांशों के हस्ताक्षर
6/2/19	<p>इस प्रकरण में दिनांक 19/7/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी N.E. श्रीलक्ष्मी देवी के प्रकरण क्रमांक 48/म-12/11-12 में पारित आदेश दिनांक 31-7-12 के विरुद्ध दस्तुत की गयी है। म0प्र0 भूराजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है। अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला रीण के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 29/4/19 को कलेक्टर जिला रीण के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>6/2/19 सदस्य</p>